

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नं. |
|---------------|-----------------------------------|-----|
|---------------|-----------------------------------|-----|

22/3/24 पत्रावली पेश हुई। वहुलाए 34/1 पत्रावली वास्त
जवाब प्राप्त दि. 8/5/24 को पेश हो।

8/5/24 पत्रावली पेश हुई। वहुलाए 34/1 पत्रावली वास्त जवाब
प्रा.पत्र दि. 5/6/24 को पेश हो।

5/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप. नं. उत्तरादि क्रि
2 की क्र. 2 जवाब प्रस्तुत नहीं करने कर्त
जवाब अर्थात् 2 बन्द विप. गमा। पत्रावली
वास्त पेश दिनांक 12/7/24 को पेश हो।

12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप. नं. बहम प्रा.पत्र
वकील शर्मा सूनी गई। वकील शर्मा द्वारा प्रा.पत्र
में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्यामी
निषेधाज्ञा को तर्जमा वाद तक करने बाबत निवेदन
क्रिमा गमा। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं बहम
शर्मा परामर्श क्रिमा गमा। मुलवाद साक्ष्यवादी
में ज. ग. हो प्रमाण में कोई नवीन तथ्य पेश
नहीं किये गये। जिससे उक्त में तर्जमा वाद
अशर्माजिन को अस्यामी निषेधाज्ञा से याकद
क्रिमा जाना न्यायोचित प्रतीत हो। अतः प्रा.पत्र
पत्र शर्मा अस्वीकार क्रिमा जाकर पत्राजि
क्रिमा जाता है। पत्रावली फेसल सुमा होना
नग्यर से उभ हो। मुलवाद के मुलज्म हो।

ह. मं. 24